ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.2, April – June,2024/27

''ग्रामीण परिवेश में अन्तर्जातीय विवाह का बढ़ता प्रचलन : प्रभाव एवं चुनौतियाँ''

आरती वर्मा, शोधार्थिनी – समाजशास्त्र, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
डॉ0 अखिलेश कुमार त्रिपाठी, असि0प्रोफे0 समाजशास्त्र विभाग, टी0एन0पी0जी0 कालेज, टाण्डा अम्बेडकरनगर।

https://doi.org/10.61410/had.v19i2.185

शोध सारांश

विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथा एवं नियम के अनुसार स्त्री और पुरुष के यौन–सम्बन्धों को नियमित करने की ऐसी संस्था के रूप में रही है जिसका उद्देश्य परिवार निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रही है। परम्परागत भारतीय समाज जहां जाति एवं धर्म से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं रहा है वहां सामाजिक मानदण्डों में आये परिवर्तन के कारण अन्तर्जातीय विवाह को अब धीरे–धीरे मान्यता तो प्राप्त हो रही है किन्तु आज भी इसे ग्रामीण परिवेश में असामान्य और सामाजिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। अतीत में अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक विद्यटन और उपहास के विषय रहे है। ग्रामीण समाज में अन्तर्जातीय विवाह वर्ग संघर्ष का कारण रहे हैं, समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त प्रभु जातियाँ, समाज में अपनी शक्ति सम्पन्नता का प्रदर्शन करने हेतु इस प्रकार के सम्बन्ध में को नकारते रहे है और सम्बन्धित परिवारों को अथाह पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है।

शब्द संकेत :– अर्न्तधार्मिक, अन्तर्जातीय, अभिनव प्रवृति, सामाजिक, गतिशीलता सामंजस्य, जनभावना, भेदभाव, अनुकूलन, चुनौतियाँ, प्रभुता।

शोध–पत्र

सभ्य समाज के निर्माण के मुख्य आधार बिन्दु के रूप में विवाह एक सामाजिक सांस्कृति संस्था के रूप में स्थापित है। समाज की निरन्तरता हेतु विवाह जैसी संस्था का किसी न किसी रूप में विद्यमान रहना अति आवश्यक है। भारतीय सामाजिक परम्परा में लैंगिक सम्बन्धों को प्रथा, परम्परा एवं विधि द्वारा नियमित करने के उद्देश्य से ही विवाह नामक संस्था अभ्युदय माना जाता है।[1] हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह कानूनी या सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि जीवन भर एक धार्मिक बन्धन है। हिन्दू विवाह में यौन सम्बन्धों का महत्व गौण है। इसके अन्तर्गत सम्बन्धों का एक मात्र उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति रही है, पुत्र प्राप्ति को भी धार्मिक कृत्य के रुप में देखा गया है, विवाह को परिभाषित करते हुए के0एम0 कपाड़िया ने लिखा है कि ''हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है।''[2] इससे यह स्पष्ट होता है कि ''हिन्दू विवाह विधियों एवं अनुष्ठानों का एक सम्मिलित रुप है, इसलिए विवाह आयोजन के अन्तर्गत कई धार्मिक क्रियाऐं सम्पादित की जाती हैं। इन क्रियाओं के अन्तर्गत कन्यादान, विवाह होम, पाणि–ग्रहण अग्ति परिणयन अश्मारोहण, लाजाहोम एवं सप्तपदी इत्यादि, हिन्दू विवाह जन्म जन्मान्तर तक चलने वाला एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। इससे पति एवं पत्नी द्वारा जीवन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का संयुक्त प्रयास किया जाता है।

याज्ञवल्क्य ने हिन्दू विवाह के पवित्र एवं गौरवशाली उद्देश्य के सन्दर्भ में कहा है कि 'धर्म का पालन, पुत्र–प्राप्ति एवं रति–सुख विवाह के प्रमुख उद्देश्य है।[3] मनुस्मृति में भी कहा है कि सन्तान धर्म

कार्य, सेवा, उत्तमरति, पितरों और अपना स्वर्गसाधन ये सभी कार्य स्त्री के के अधीन होते है।[4] हिन्दू विवाह को धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन कहा गया है।

भारतीय परम्परा में संयुक्त परिवार में भारतीय सामाजिक संरचना में संयुक्त शक्ति की धारणा व्याप्त थी, किन्तु भारतीय समाज में अब अभिनव प्रवृत्तियों के विकास ने संयुक्त परिवार व्यवस्था में भी परिवर्तन कर एकाकी परिवारों के प्रचलन को बढ़ावा दिया है। वास्तव में मूलरूप से परिवार के आकार–प्रकार, सदस्यों के सम्बन्ध, प्रस्थिति और भूमिका, अधिकार एवं कर्त्तव्यों में आये परिवर्तन ने कही न कही परिवापर की इकाइयों में अधिक परिवर्तन आया है। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों में विघटन के पश्चात, एकाकी परिवारों का जन्म हुआ, एकाकी परिवारों के जन्म के पीछे जो कारक रहे उन्हीं के परिणाम स्वरूप एकाकी परिवारों में भी अब परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज के आधुनिक भारतीय समाज में भारतीय संविधानत ने जहाँ समताख समानता एवं शिक्षा का अधिकार दिया है, इन्हीं कारकों के प्रभाव में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। अन्तर्जातीय विवाहों का बढ़ता प्रचलन भी कहीं न कही इसी सामाजिक गतिशीलता का परिणाम कहा जा सकता है।

वर्तमान आधुनिक परिवेश में मात्र शारीरिक आकर्षण के कारण विवाह करना नासमझी हो सकती है, जो अंततः परिवर्तनशील अथवा क्षणिक होता है। स्वयं द्वारा पसन्द के विवाह के कुछ नुकसान अवश्य हो सकते हैं किन्तु सामान्य समानता की माँग व्यक्तित्व और उसके विकास पर आधुनिकता के साथ यह विवाह का सबसे अच्छा तरीका है। पति–पत्नी के व्यक्तित्व में सामंजस्य हिन्दू विवाह जो पारिवारिक सहमति से हो की विशेषता है, पुरानी पीढ़ी के दृष्टिकोण में कई पुरुष एवं महिला में विवाह से पूर्व लड़का का लड़की को एक–दूसरे के विषय में जानने की इच्छा की कमी होती है। मनुष्य की आर्थिक स्थिति तथा विश्वसनीयता को वरीयता प्राप्त होती थी अन्य लक्षणों की अपेक्षा, वर्तमान परिवेश में पुरुष अब नवीन विचारों से अधिक परिचित होते है इसलिए वह महिलाओं की तुलना में अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह के प्रति अधिक उदारवादी हैं। अन्तर्जातीय विवाह के दो मुख्य कारण होते है यथा यह जाति व्यवस्था को तोड़ने में मदद एवं जाति की बाधाऐं प्रेम विवाह में रूकावट नहीं बन सकीं।

यह भी स्वीकार किया जाता है कि इस प्रकार के विवाह 'अच्छे समाज' का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इससे अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव समाप्त होंगे, जो लोग इस प्रकार के विवाह का समर्थन करते है वह इस बात पर भी बल देते है कि नवविवाहित जोड़े को आत्मनिर्भर भी होना चाहिए क्योंकि उन्हें परिवार द्वारा कोई समर्थन नहीं प्राप्त होगा। उदारवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाले लोगों ने जाति से बाहर विवाह किया था, उनका विचार है कि समाज अभी इस प्रकार के विवाहि को स्वीकार नहीं करता। इसलिए ऐसे लोग जनभावना के खिलाफ जाकर स्वयं की समस्याओं को बढ़ाते हैं। किन्तु इस प्रकार की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए कए अत्यन्त मजबूत भावनात्मक बन्धन, पारिवारिक प्रथा के विरूद्ध विद्रोह की चरमसीम तक जाने का दृढ़ संकल्प अन्तर्जातीय विवाह हेतु आवश्यक प्रतीत होता है।[6]

प्राचीन काल में प्रचलित स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी जिसका आशय पति को स्वयं वरण करना अर्थात चुनना। जब किसी राजा को अपनी कन्या का विवाह करना होता था तब वह देश–विदेश के सभी राजाओं को इसकी सूचना देता था। जिसमें सभी इच्छुक राजा सम्मिलित होते थे, स्वयं वर हेतु बैठे सभी राजाओं के पास राजा की पुत्री दासियों के साथ हाथ में जयमाल लेकर आती थी। राजा के परिचय तथा गुणों का वर्णन किया जाता था। अन्त में कन्या अपने अनुकूल वर को पसन्द कर जयमाल

उसके गले में डाल देती थी और उस राजा से उसका विाह हो जाता था। अग्नि पुराण से विदित होता है कि उस समय यह प्रथा समाज में प्रचलित थी।[7]

आधुनिक भारतीय समाज में एक व्यवस्थित ढाँचे के अभाव एवं सामाजिक मान्यता के अभाव के पश्चात् भी अन्तर्जातीय विवाह अपने स्वरूप को गतिशील रखा है। शिक्षा की अनिवार्यता तथा संचार–साधनों के बढ़ते प्रभाव के साथ–साथ याता–यात के साधनों में वृद्धि ने इस क्षेत्र के प्रसार में महत्वर्पूा भूमिका का निवर्हन किया है। अन्तर्जातीय विवाह ने वैवाहिक नातेदारी के निर्माण में सहायता प्रदान की है। अन्तर्जातीय विवाह के माध्यम से जातिवाद के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। तत्कालीन समय में अपनी ही जाति के भीतर विवाह की मान्यताऐं अत्यन्त उपयोगी अवश्य रही होंगी जब स्त्रियों को समाज में द्वितीय स्थान प्राप्त था शिक्षा का प्रभाव, पर्दा प्रथा की अनिवार्यता, स्वयं के प्रति निर्णय के अभाव के कारण महिलाएं परिवार की दया पर निर्भर थीं, किन्तु आज की परिस्थितियाँ एकदम भिन्न है। महिलाओं के सशक्तिकरण के पश्चात् उन्हें समाज में बरारी का स्थान प्राप्त होने के कारण वह समाज में नित नये आयाम स्थापित कर रहीं है। सहशिक्षा एवं सहकार्यशीलता के परिणाम स्वरूप लड़के–लड़कियों में भावनात्मक लगाव ही प्रेम सम्बन्धों के जन्म का कारण होता है। भारत में धर्म विहीन, जातिविहीन समाज के निर्माण हेतु दक्षिण भारत में अनेकों विवाह अन्तर्जातीय एवं अन्र्धार्मिक हुए है, 2012 में दक्षिण भारत के एक गाँव में अन्तर्जातीय विवाह को लेकर 200 घरों को जला दिया गया।[8] भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके है, कहने के लिए हम अवश्य ही प्रगतिशील समाज का निर्माण कर रहे है। किन्तु जाति और धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं।

शोध–प्रारूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन जनपद अयोध्या की सदर तहसील के पूरा विकास खण्ड के तीन गांवों के 100–100 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि से कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची एवं द्वितीयक स्रोतों में सरकारी, गैर सरकार रिकार्ड, रिपोर्ट, समाचार–पत्र पत्रिकाओं का भी संकलन किया गया है।

शोध–परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन की सफलता हेतु कुछ शोध उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है :–

1. क्या वर्तमान आधुनिक परिवेश में विवाह सम्बन्धी निर्णय में परिवार के मुखिया की भूमिका परिवर्तित हुई है ?
2. क्या महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा समानता में जातिगत अन्तर को कम किया है ?
3. क्या वर्तमान आधुनिक परिवेश के पश्चात भी रूढ़िवादिता के काण अन्तर्जातीय विवाह चुनौती से कम नहीं है।
4. क्या अन्तर्जातीय विवाह के पश्चात् युवक–युवतियों को नकारात्मक परिस्थिति का समाना करना पड़ता है।
5. क्या अन्तर्जातीय विवाह में तलाक की दर अधिक है ?
6. क्या ग्रामीण समाज अन्तर्जातीय विवाह के प्रति कम जागरूक है ?
7. क्या वर्तमान आधुनिक परिवेश में दहेज प्रथा के प्रचलन के कारण अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिल रहा है ?
8. क्या उच्च आर्थिक प्रस्थिति अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है।

उपयुक्त सन्दर्भों में भारतीय ग्रामीण परिवेश में अन्तर्जातीय विवाह के बढ़ते प्रचलन का प्रभाव एवं चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या ग्रामीण परिवेश में आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में वैवाहिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आया है ? निम्न सारणी के माध्यम से प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया गया है –

सारणी सं0–01

क्र0सं0	वैवाहिक संस्था में परिवर्तन	सिरसिण्डा		सरायरासी		अंजना		सम्पूर्ण योग
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
1.	हाँ	42	42.00	52	52.00	46	46.00	140.00
2.	नहीं	36	36.00	38	38.00	34	34.00	108.00
3	वह नही सकते	22	22.00	10	10.00	20	20.00	52.00
योग		100	100	100	100	100	100	300

उपरोक्त सारणी सं0–01 के अध्ययन में सम्मिलित अध्ययन क्षेत्र पूरा विकास खण्ड के उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या ग्रामीण परिवेश में आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में वैवाहिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आया है ? के क्रम में ग्राम सभा सिरसिण्डा के कुल 100 उत्तरदाताअें में से 42.00 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में वैवाहिक संस्थाओं में भी परिवर्तन अवश्य आया है, जबकि 36.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है एवं 22.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहा, इसी क्रम में ग्राम सभा सरायरासी के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 52.00 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते है कि पविर्तन आया है, जबकि 38.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है एवं मात्र 10 प्रतिशत उत्तरदाता इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कह सके।

इसी प्रकार ग्राम सभा अंजना के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 46.00 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि वैवाहिक संस्थाओं में परिवर्तन अवश्य आया है, जबकि 34.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है एवं 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रश्न के सन्दर्भ में कुछ नहीं कह सके।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वर्तमान आधुनिक परिवेश में वैवाहिक संस्थाओं में परिवर्तन अवश्य दिखाई पड़ता है। आज परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों से अलग–अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाहों का प्रचलन समाज में तीव्रगति से बढ़ रहा है।

सारणी सं0–02

क्या आप मानते है कि ग्रामीण समाज में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है ?

क्र0सं0	दृष्टिकाणे में परिवर्तन	सिरसिण्डा		सरायरासी		अंजना		सम्पूर्ण योग
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
1.	हाँ	38	38.00	48	48.00	52	52.00	138.00
2.	नहीं	46	66.00	35	35.00	38	38.00	119.00
3	वह नही सकते	16	16.00	17	17.00	10	10.00	43.00
योग		100	100.00	100	100.00	100	100.00	300.00

उपरोक्त सारणी सं0–02के अध्ययन में सम्मिलित अध्ययन क्षेत्र पूरा विकास खण्ड के उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या आप माने है कि ग्रामीण समाज में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है ? के क्रम में ग्राम सभा सिरसिण्डा के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 38.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि हाँ ग्रामीण समाज में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन अवश्य आया है। जबकि 46.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते किया है कि हाँ ग्रामीण परिवेश में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण में अवश्य ही परिवर्तन आया है। जबकि 35.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है, एवं मात्र 17 प्रतिशत उत्तरदाता इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कह सके।

इसी प्रकार ग्राम सभा अंजना के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 52.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि हाँ ग्रामीण समाज में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण बदला है, जबकि 38.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है एवं मात्र 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ नहीं कह सके।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाज भी अब अन्तर्जातीय विवाह के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर रहा है। समय के साथ अब प्रगतिशील समाज आगे बढ़ रहा है।

सन्दर्भ सूची –

1. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन कमलेश; भारत में समाज संरचना संगठन एवं परिवर्तन, विवके प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली पृ0–83
2. कपाड़िया, के0एस0 ; मैरेज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, पृ0–168
3. याज्ञवल्क्य स्मृति ; 1/78, 89
4. अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा एतिरुत्तमा।
   दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्चह।।
5. मुकर्जी, आर0एन. एवं अग्रसाल, भरत ; भारतीय सामाजिक व्यवस्था, विवके प्रकाशन दिल्ली, पृ0–231
6- Sharma, Y.K. ; Kinship, Marriage and Family in India Lakshmi Narain Agrawal Agra. P-149.
7. अण्डया स्त्री भवेद्राज्ञा वरयन्ती स्वयं पतिम्।
8. दैनिक हिन्दुस्तान 15 फरवरी 2022, लखनऊ पृ0–8